रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1468] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2007/अग्रहायण 7, 1929
No. 1468] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2007/AGRAHAYANA 7, 1929

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2007

(आयकर)

**का.आ. 2000(अ).**—जबकि भारत में वर्ष 2006 के जून मास के 15वें दिन को हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार एवं कुवैत राज्य की सरकार के बीच अनुबद्ध करार, अक्टूबर, 2007 के 17वें दिन जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 30 के अनुसार, इस करार के प्रभावी होने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात् परवर्ती अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि है, को प्रभावी होगा ।

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि अनुबद्ध उक्त करार के सभी उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से भारत संघ में प्रभावी किए जाएँगे ।

[फा. सं. 501/3/88–वि. क. प्र./अधिसूचना सं. 277/2007/वि. क. प्र.]

पूनम दत्त, संयुक्त सचिव

### अनुबन्ध

आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

**भारत गणराज्य की सरकार**

और

**कुवैत राज्य की सरकार**

के बीच

**करार**

भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत राज्य की सरकार, आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्द्धन की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

## अनुच्छेद - 1

### शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

## अनुच्छेद - 2

### सम्मिलित कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों पर लागू होगा, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं ।

2. सकल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगने वाले करों के रूप में माना जाएगा जिनमें चल और अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर कर और उद्यमों द्वारा अदा किए गए वेतनों और मजदूरियों की सकल रकम पर कर शामिल है ।

3. जिन वर्तमान करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :

(क) भारत के मामले में :

- आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;
(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा);

(ख) कुवैत के मामले में :

(1) निगतिम आय कर ;
(2) कुवैती शेयर धारक कंपनियों के निवल लाभों से प्राप्त अंशदान जो विज्ञान में प्रगति के लिए कुवैत संस्था (के एफ ए एस) को देय हैं ;
(3) जकत ;
(4) राष्ट्रीय कर्मचारी कानून के समर्थन में लगाया गया कर (जिसे इसमें इसके बाद "कुवैती कर" कहा गया है)

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होंगे, जो इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् किसी संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत विद्यमान करों के अलावा अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी क्रमशः अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अभिसूचित करेंगे ।

## अनुच्छेद - 3

## सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

क) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकरी राज्य" पद का अर्थ, संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा कुवैत राज्य से है ;

ख) "भारत" पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र, और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर आकाशीय क्षेत्र के साथ-साथ अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के करार सहित भारतीय कानून तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;

ग) "कुवैत" पद का अर्थ कुवैत राज्य के उस क्षेत्र से है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, कुवैत कानून के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है अथवा इसके बाद किया जाएगा जिस पर कुवैत अपने प्रभुसत्ता अधिकार अथवा क्षेत्राधिकारों का प्रयोग कर सकता है ।

घ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय अथवा कोई अन्य सत्ता शामिल है । भारत के मामले में कोई ऐसी सत्ता जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता हो ;

ड.) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है ;

च) "उद्यम" पद किसी भी प्रकार का कोई कारोबार करने पर लागू होता है ।

छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

ज) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

झ) "सक्षम प्राधिकारी" पद का अर्थ है :-

(i) भारत के मामले में : केन्द्रीय सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
(ii) कुवैत के मामले में : वित्त मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

ञ) "राष्ट्रिक" पद का अर्थ है :

(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ;
(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता अथवा संगठन जिसे इसकी यह हैसियत संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से प्राप्त होती हो ।

ट) "कर" पद का अर्थ भारतीय अथवा कुवैती कर जैसा संदर्भानुसार अपेक्षित हो, परंतु इसमें वो राशि शामिल नहीं होगी जो ऐसे करों के सम्बन्ध में ऐसी चूक अथवा त्रुटि के संबंध में देय है जिस पर यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड अथवा जुर्माने का द्योतक है ;

ठ) "वित्तीय वर्ष" पद का अर्थ पहली अप्रैल से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से है ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो करों के प्रयोजनार्थ उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस समय था, जिस पर यह करार लागू होता है और उस राज्य पर लागू कर कानूनों के अंतर्गत यह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा ।

## अनुच्छेद -4

## निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद का अर्थ :

(क) भारत के मामले में : किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसपर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध - स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी ऐसी ही कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है । परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य के स्रोतों पर होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ;

(ख) कुवैत के मामले में, कोई व्यक्ति जो कुवैत अथवा भारत का निवासी हो और जो कुवैत में संबंधित वित्त वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 183 दिनों तक की अवधि हेतु वहां रहता है और कोई कम्पनी अथवा कोई सत्ता जिसे कुवैत में निगतिम किया जाता है, उस पर वहीं कर लगाया जाएगा ;

2. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, एक संविदाकारी राज्य के निवासी में निम्नलिखित भी शामिल होगा ;

(क) उस संविदाकारी राज्य की सरकार और उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा इसका कोई स्थानीय प्राधिकरण ;

(ख) सार्वजनिक नियम के तहत उस संविदाकारी राज्य में स्थापित किया गया कोई सरकारी संस्थान जैसे कि कोई निगम, केन्द्रीय बैंक, निधि, प्राधिकरण, संस्था, एजेंसी अथवा ऐसी ही अन्य सत्ता जो उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः पूर्ण स्वामित्व में हो और इसके द्वारा नियंत्रित हो ।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं ( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

घ) यदि उप - पैरा (क) से (ग) के उपबंधों के अंतर्गत उसकी हैसियत निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इस का निपटारा करेंगे ।

4. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तब उसे केवल उसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध - स्थान स्थित है । यदि उस राज्य का जहां उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इसे निपटाने का प्रयास करेंगे ।

## अनुच्छेद -5

## स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ड.) कोई कार्यशाला ;

(च) कोई बिक्री स्थल ;

(छ) कोई व्यक्ति, जो दूसरों को भण्डारण सुविधा देता है, के संबंध में कोई भांडागार ;

(ज) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(झ) कोई फार्म, बागान अथवा कोई अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों ।

3. कोई भवन अथवा कोई निर्माण स्थल, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप को तभी स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 12 माह की अवधि में कम से कम 183 दिनों से अधिक समय तक जारी रहे ।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अपने कार्मिकों अथवा उद्यम द्वारा ऐसे प्रयोजनार्थ रखे गए अन्य व्यक्तियों द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में सेवाएं उपलब्ध करवाना जिसमें परामर्शदात्री अथवा प्रबन्धकीय सेवाएं भी शामिल हैं, इन्हें स्थायी संस्थापन तभी माना जाएगा यदि इस प्रकार के कार्यकलाप 12 माह की किसी अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों तक अथवा इससे अधिक अवधि तक जारी रहें ।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(घ) उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(ङ.) उस उद्यम के लिए मात्र कारोबार चलाने के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों ;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित कार्य-कलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 9 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में किन्ही ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्थायी संस्थापन का होना तभी समझा जाएगा, यदि वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता हो, यदि यह व्यक्ति ;

(क) उसे उस उद्यम की तरफ से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित न हों, यदि ऐसा कारोबार किसी निश्चित स्थान से किया जाए इससे उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ; अथवा

(ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का एक स्टॉक आदतन रखता हो, जिसमें से वह नियमित रूप से उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की डिलीवरी करता हो ;

(ग) वह आदतन प्रथमोलिखित राज्य में उस उद्यम के लिए या ऐसे उद्यम और अन्य उपायों के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया आदेश प्राप्त करता हो जो इस के द्वारा ; अथवा

(घ) ऐसा करने में, वह उस संविदाकारी राज्य में माल का निर्माण करता हो अथवा उद्यम से सम्बन्धित माल अथवा पण्य-वस्तुओं का प्रसंस्करण करता हो ।

7. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, के अलावा जिस पर पैराग्राफ 9 लागू होता हो, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमे की प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

8. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से किए जाते हों जो इसके द्वारा नियंत्रित हों अथवा उनका इसमें कोई नियंत्रणकारी हित हो, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत स्वतन्त्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

9. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

## अनुच्छेद - 6

## अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार ; जलयानों, नौकाओं, वायुयानों और अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

## अनुच्छेद - 7

## कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो अथवा करता रहा हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए हों ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की तब संभावना रहती है जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए किसी निश्चित और भिन्न उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार प्राप्त कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस संविदाकारी राज्य में उस राज्य के लागू कानूनो अथवा विनियमों के तहत किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र । अतः स्थायी संस्थापन द्वारा राशियों के संबंध में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न) यदि कोई हों, और अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं ।

5. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसरण में होगा ।

6. शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि एक संविदाकारी राज्य के कर प्राधिकरण के पास किसी व्यक्ति के किसी स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ निर्धारित करने के लिए उपलब्ध सूचना अपर्याप्त हो, तब इस अनुच्छेद की कोई भी बात उस स्थायी संस्थापन की कर संबंधी देनदारी का निर्धारण करने के बारे में उस संविदाकारी राज्य के किसी कानून अथवा विनियमों को प्रभावित नहीं करेगी जिससे उस संविदाकारी राज्य के कर प्राधिकरी उन लाभों का आकलन कर सकें उस संविदाकारी राज्य के जिन पर कर प्राधिकारी द्वारा उस स्थायी संस्थापन में कर लगाया जा सके, बशर्ते कि कर प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियमों अथवा विनियमों को इस अनुच्छेद के सिद्धान्तों के साथ सतत रूप से लागू किया जाएगा ।

7. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

8. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

## अनुच्छेद - 8

## जहाजरानी और वायु परिवहन

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम का प्रभावी प्रबंध स्थान किसी जलयान पर स्थित हो, तब उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जलयान का घरेलू बंदरगाह स्थित हो, अथवा यदि ऐसा घरेलू बंदरगाह नहीं है, तो उस संविदाकारी राज्य में जिसका जलयान का संचालन एक निवासी है ;

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

क) जलयानों अथवा वायुयानों के बेयरबोट आधार पर किराए से प्राप्त लाभ ;

ख) आधानों के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराए से प्राप्त लाभों, जिनमें माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन हेतु आधानों के परिवहन हेतु ट्रेलर और संबंधित उपकरण भी शामिल हैं ।

"जहां ऐसा किराया अथवा ऐसा प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराया, जैसा भी मामला हो, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन के अनुरूप हो ।"

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से सीधी जुड़ी हुई निधियों पर ब्याज को जलयानों अथवा वायुयानों के ऐसे प्रचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा यदि ये ऐसे कारोबार के अनुरूप हों और अनुच्छे 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

5. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

6. यह स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद के उपबंध भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत राज्य की सरकार के बीच 21 अप्रैल, 1982 को हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन से प्राप्त आय पर दोहरे कराधान के परिहार हेतु उपबंधों का स्थान लेंगे ।

## अनुच्छेद - 9

## संबद्ध उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी मामले में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ हो, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होंती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

## अनुच्छेद - 10

### लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी जो ऐसे लाभों का हितभोगी स्वामी है को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, लेकिन, यदि लाभांशों का प्राप्तकर्ता हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर लाभाशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । यह पैराग्राफ, उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी किसी अम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांश उस संविदाकारी राज्य में कराधेय नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी इस प्रकार हो -

क) सरकार, इसका कोई राजनैतिक उप प्रभाग अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई स्थानीय प्राधिकरण ;

ख) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेन्ट्रल बैंक, अथवा

ग) कोई सरकारी अभिकरण अथवा सरकारी वित्तीय संस्थान जिसे नामोदिष्ट किया जाए और जिसके बारे में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच टिप्पणियों का अदान-प्रदान कर सहमति हो सके ।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों, "ज्योइसेंस" शेयरों या "ज्योइसेंस" अधिकारों, खनन शेयरों, संस्थापन शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण के दावे न हों, लाभों में हिस्सेदारी से प्राप्त आय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है जिस पर वही कराधान अभिक्रिया लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे ।

6. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य ऐसे मामलों को छोड़कर उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या उस दूसरे राज्य में किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

## अनुच्छेद - 11

### ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी, जो ऐसे ब्याज का हितभागी स्वामी है, को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में जिसमें यह उद्भूत हुआ है । और उस राज्य के कानून के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, किन्तु प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी कम्पनी द्वारा अदा किए गए ब्याज, जो एक संविदाकारी राज्य की एक निवासी है, उस संविदाकारी राज्य में कराधेय नहीं होगा, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी निम्न है :

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, किसी राजनयिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा

(ख) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेन्ट्रल बैंक ; अथवा

(ग) अन्य सरकारी अभिकरण अथवा वित्तीय संस्थान जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए तथा जिसके बारे में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान कर सहमति हो सके ;

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त ब्याज शब्द का आशय प्रत्येक प्रकार के ऋणदावे से प्राप्त आय से है चाहे वे बंधक द्वारा प्रत्याभूत हों या नहीं और चाहे उसे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी करने का अधिकार प्राप्त हो या नही, और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों और बाण्डों या ऋणपत्रों से प्राप्त आय से है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बाण्डों या ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उत्पन्न हुआ तब माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ऐसा ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ब्याज लिया गया था, जिस पर ऐसी आय की अदायगी की गई थी और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता हो तब ऐसा ब्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की राशि, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के आधिक्य भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

## अनुच्छेद - 12

## रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति, जिसमें टेलीविजन अथवा रेडियों के प्रसारण के प्रयोग हेतु सिनेमाटोग्राफ फिल्म अथवा फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, के कापीराईट का प्रयोग अथवा प्रयोग के अधिकार, कोई पैटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मुला अथवा प्रोसेस तथा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा संबंधित औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव प्रयोग अथवा प्रयोग के अधिकार हेतु प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी प्रकार की अदायगियां ।

(ख) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" शब्द का अभिप्राय प्रबंधकीय अथवा तकनीकी अथवा परामर्शदात्री सेवाओं, जिसमें तकनीकी अथवा अन्य वैयक्तिक सेवाओं के उपबंध शामिल हैं, के प्रतिफल के रूप में इस करार के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित से भिन्न किसी प्रकार की अदायगियां ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध हैं ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीक सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे ।

ऐसे मामले में, अदायगियों के उस आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

## अनुच्छेद - 13

## पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयान अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयान के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा अंतरणकर्त्ता जिसका निवासी है ।

4. किसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक जिसकी सम्पत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल है, के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ पर उस राज्य में कर लग सकेगा ।

5. किसी कम्पनी में, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिस में शेयर जारी करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, अंतरणकर्त्ता जिसका निवासी है ।

## अनुच्छेद - 14

## स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. किसी व्यष्टि द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप के अन्य क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त आय उस संविदाकारी राज्य में तभी कराधेय होगी जब तक उसे अपने क्रियाकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है अथवा यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि किसी वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक अवधि अथवा अवधियों के लिए हो । यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसका कोई निश्चित स्थान अथवा ऐसा कोई प्रवास है अथवा था तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा परंतु केवल उतने हिस्से पर ही जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई हो अथवा उस राज्य में निष्पादित क्रियाकलापों से प्राप्त हुई हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप के साथ - साथ चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु - विदों, शल्य - चिकित्सकों, दन्त चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

## अनुच्छेद - 15

## परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

4. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का एक राष्ट्रिक तथा उस संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का एक कर्मचारी दोनों है, जिसका मुख्य कारोबार अन्तरराष्ट्रीय यातायात में एयरक्राफ्ट का संचालन है, तथा ऐसा व्यक्ति दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यों के संबंध में पारिश्रमिक प्राप्ति करता है पर उद्यम में उसके सेवा नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

## अनुच्छेद - 16

## निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियाँ जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य अथवा अन्य इसी तरह घटक के रूप में प्राप्त की गई हों, पर केवल उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

## अनुच्छेद - 17

## मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्त्ता या किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उन मनोरंजनकर्ताओं अथवा खिलाड़ियों जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी हैं, के दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित ऐसे वैक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उनके दौरे तथा कार्यकलापों का प्रथमोल्लिखित अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों जिसमें उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण अथवा उसका कोई सांविधिक निकाय शामिल है, के सार्वजनिक निधियों से पर्याप्तः समर्थन किया जाता हो और न ही ऐसे कार्यकलापों के संबंध में गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्राप्त आय पर, बशर्ते कि इसके आय का कोई भाग इसके मालिकों, संस्थापकों अथवा सदस्यों को देय न हो अथवा उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए उपलब्ध न हो ।

## अनुच्छेद - 18

## पेंशन और वार्षिकियां

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन किसी व्यष्टि को जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन एवं अन्य इसी तरह के पारिश्रमिक एवं वार्षिकियों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा ।

2. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त :

क) "पेंशन एवं अन्य इसी तरह के पारिश्रमिक" शब्द का तात्पर्य पिछले सेवानियोजन अथवा अन्यथा पिछले सेवा नियोजन के संबंध में प्राप्त की गई जोखिमों की क्षतिपूर्ति के प्रतिफल के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद की गई आवधिक अदायिगयां ।

ख) "वार्षिकी" शब्द का तात्पर्य किसी व्यष्टि को जीवन के दौरान निश्चित समय पर अथवा एक निर्दिष्ट अथवा निर्धारित समयावधि के दौरान आवधिक रूप से देय नियत राशि अथवा धन या धन के समान पर्याप्त एवं पूर्ण प्रतिफल के लिए बाद में अदायिगयां करने की बाध्यता के तहत एक नियत राशि ।

## अनुच्छेद - 19

## सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा ।

(ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हों और उक्त व्यष्टि उस राज्य का निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो ; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं प्रदन करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा उसके द्वारा सृजित निधियों में से या उस के द्वारा अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्यष्टि उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

## अनुच्छेद - 20

## प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक अथवा शोधकर्ता, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य इसी तरह के संस्थान में अध्यापन करने अथवा शोधकार्य करने के प्रयोजनार्थ दूसरे सविंदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था, उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उस दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोधकार्य के लिए प्राप्त ऐसे किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अनुच्छेद केवल शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू होगा, यदि ऐसा शोधकार्य सार्वजनिक हित में किया जाता है और न कि मुख्यतया कुछ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी व्यष्टि को किसी संविदाकारी राज्य का एक निवासी समझा जाएगा, यदि वह उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उसके तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस राज्य का एक निवासी रहा हो ।

## अनुच्छेद - 21

## विद्यार्थी तथा प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षु को जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से पहले किसी अन्य संविंदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, और जो मात्र अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसे अपने भरण पोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्राप्त की गई अदायिगयों पर उस संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के होते हुए भी, एक विद्यार्थी या प्रशिक्षु जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरंत पहले अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और मात्र अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, द्वारा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रदत्त अस्थायी सेवाओं से व्युत्पन्न पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि ऐसी सेवाएं उसके शिक्षण अथवा प्रशिक्षण से संबंधित है तथा ऐसे सेवाओं से प्राप्त पारिश्रमिक उसके भरण पोषण के प्रयोजनार्थ उसे उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है ।

3. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी समयावधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हों ।

## अनुच्छेद - 22

## अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसे अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

## अनुच्छेद - 23

## दोहरे कराधान का अपाकरण

1. किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून, उन स्थितियों के अतिरिक्त संबंधित संविदाकारी राज्य में कराधान को शासित करते रहेंगे, जहां इस करार में इसके विपरीत प्रावधान किए गए हैं ।

2. इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि इस अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफों के अनुसरण में दोहरे कराधान का परिहार किया जाएगा :-

क) भारत के मामले में :

यदि भारत का कोई निवासी ऐसी आय अर्जित करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार, भारत और कुवैत दोनों में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की

आय पर कर से कटौती के रूप में उसके द्वारा कुवैत में अदा किए गए कर के बराबर की राशि की छूट दे सकता है ।

तथापि, दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती, आय पर कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिस की संगणना कटौती से पूर्व हो, जो उस आय के संबंध में हो , जैसा भी मामला हो, जिस पर कुवैत में कर लगाया जा सकता है ।

ख) कुवैत के मामले में :

यदि कुवैत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत और कुवैत दोनों में कर लगाया जा सकेगा, तो कुवैत, उस निवासी की आय पर भारत में अदा किए गए आयकर की राशि के बराबर, कर से छूट की अनुमति प्रदान करेगा ।

तथापि, दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती, आय के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसकी संगणना कटौती से पूर्व की गई हो, जो इसके कारण, जैसा भी मामला हो, ऐसी आय के संबंध में होगा, जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में अदायगी योग्य कर में उस कर को शामिल किया गया माना जाएगा जो अदायगी योग्य होता यदि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रदान किए गए कर प्रोत्साहन न होते और जो अर्थिक विकास को प्रोन्नत करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं ।

## अनुच्छेद - 24

## संव्यवहार

1. किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाले वैयक्तिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न हो अथवा अधिक बोझिल हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाले व्यक्तियों पर उन्हें परिस्थितियों में विशेष रूप से निवास के संबंध में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक या दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो दूसरे राज्य के उद्यमों पर समान परिस्थितियों में समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू

होने वाले कराधान से कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को प्रदत्त कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे, जो अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों को कर की ऐसी दर पर प्रभारित करने से किसी संविदाकारी राज्य को रोकना है जो उस दर से अधिक हो जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के समरूप कंपनी के लाभों पर लगाया जाता है और न ही इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि यह इस करार के अनुच्छेद 7 के पैरा 3 के प्रतिकूल है।

3. ऐसे मामले को छोड़कर, जहां अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 का पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 का पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के तहत कटौती योग्य होगी, जैस कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हों।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का अर्थ एक संविदाकारी राज्य द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को किसी व्यवहार के लाभ, प्राथमिकता अथवा विशेषाधिकार देने की विधिक बाध्यता से नहीं है जो किसी तीसरे राज्य अथवा उस के निवासियों को किसी सीमाशुल्क संघ, आर्थिक संघ, किसी निर्बाध व्यापार क्षेत्र अथवा किसी क्षेत्रीय अथवा उप क्षेत्रीय व्यवस्था बना कर दिया जाए, जो पूर्णतया अथवा मुख्यतया कराधान अथवा पूंजी के संचलन से संबंधित हो, जिसका प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य एक पक्ष हो।

5. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, पर प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या उससे तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के समान उद्यमों, जिसकी पूंजी प्रथमोल्लिखित राज्य के एक या अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष या आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो या उनके अधीन हो पर लगाया जाता हो।

6. इस अनुच्छेद में, "कराधान" शब्द से तात्पर्य उन करों से है, जो इस करार के अध्यधीन हैं।

## अनुच्छेद - 25

## पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों पर ध्यान किए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः उस पर ऐसा कराधान लगाया जाता है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो ।

3. यदि इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो ।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । जब समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो तो उक्त संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन करके ऐसा आदान-प्रदान किया जा सकता है ।

## अनुच्छेद - 26

## सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा इस करार के अंतर्गत आने वाले करों से संबंधित संविदाकारी राज्यों के आंतरिक कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक हों जब तक कि उसके अंतर्गत किया गया कराधान करार के प्रतिकूल न हो । सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उक्त राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें कोई न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के निर्धारण एवं उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हो । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, भेद प्रकट होते हों अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

3. संविदाकारी राज्य राजस्व संबंधी दावों की वसूली में एक-दूसरे की सहायता प्रदान करेंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं होगी । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस पैराग्राफ को लागू करने के प्रकार को निर्धारित करेंगे ।

## अनुच्छेद - 27

## लाभों का परिसीमन

किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी इस करार के लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि उसके कार्य इस करार के लाभों को प्राप्त करने के प्राथमिक प्रयोजन से प्रबंधित किए गए हों । प्रामाणिक गतिविधि न रखने वाली कानूनी सत्ताओं का मामला इस अनुच्छेद के उपबंधों द्वारा सम्मिलित किया जाएगा ।

## अनुच्छेद - 28

## विविध नियम

1. इस करार के उपबंध का अर्थ अब तक या इसके बाद प्रदत्त किसी भी तरीके से किसी प्रकार के अपवर्जन, कटौती ऋण या किसी अन्य भत्ते को रोकना नहीं होगा, जो -

क) उस संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए गए कर के निर्धारण में किसी संविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा दिए गए हों ;

ख) संविदाकारी राज्यों के बीच आर्थिक या तकनीकी सहयोग के संबंध में कराधान संबंधी किसी अन्य विशेष प्रबंध द्वारा प्राप्त हों ।

2. प्रत्येक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी इस करार के उपबंधों को लागू करने के लिए विनियम निर्धारित कर सकते हैं ।

## अनुच्छेद - 29

## राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसूली पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन अथवा कौंसूली पदों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

## अनुच्छेद - 30

### प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे ।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचनाओं की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

3. जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके बाद अप्रैल माह के पहले दिन अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई आय के संबंध में इस करार के उपबंध प्रभावी होंगे ।

## अनुच्छेद - 31

### कालावधि एवं समापन

यह करार पांच वर्ष की अवधि हेतु जारी रहेगा और यह इसके बाद भी ऐसी ही अवधि अथवा अवधियों तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई एक आरम्भिक अथवा बाद वाली अवधि के समाप्त होने से छह माह पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य को लिखित में इस करार को समाप्त करने के लिए अपनी इच्छा की सूचना नहीं दे देता । ऐसी स्थिति में, यह करार दोनों ही संविदाकारी राज्यों में किसी वित्त वर्ष में अथवा जिस कैलेण्डर वर्ष में यह सूचना दी जाती है उसके बाद अप्रैल माह के प्रथम दिन के बाद प्राप्त होने वाली आय के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा ।

जिसके साक्ष्य में, दोनों संविदाकारी राज्यों के संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली, भारत में, उन्नीस जमाद अल अवल, 1427 एच के तद्नुरूप वर्ष दो हजार छह के जून माह के पन्द्रहवें दिन हिन्दी, अरेबिक और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

| भारत गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधि मण्डल की ओर से | कुवैत राज्य की सरकार के प्रतिनिधि मण्डल की ओर से |
|---|---|
| हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
| शिवराज पाटिल | बदर मिशारी अल-हुमैधी |
| गृह मंत्री | वित्त मंत्री |

## प्रोतोकोल

भारत गणराज्य और कुवैत राज्य आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार हेतु करार पर नई दिल्ली, भारत में, उन्नीस जमाद अल अवल, 1427 एच के तद्नुरूप वर्ष दो हजार छह के जून माह के पंद्रहवें दिन को हस्ताक्षर करते हुए इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नोक्त उपबंध उक्त करार के अभिन्न अंग होंगे ।

अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 और 2 के संबंध में यह माना जाता है कि जब एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है तब उस स्थायी संस्थापन के लाभ उस आय के भाग के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे जो ऐसी बिक्रियों अथवा कारोबार हेतु उस स्थायी संस्थापन की वास्तविक गतिविधि के कारण हुए हैं । उस संविदाकारी राज्य के, जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित हो उसके बाहर की गई बिक्रियों, कारोबार अथवा आपूर्तियों को उस स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, पर विचार नहीं किया जाएगा । इसी तरह सर्वेक्षण, निर्माणों अथवा प्रतिस्थापनों हेतु संविदाओं के मामले में किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का संविदा की कुल राशि के आधार पर निर्धारण नहीं किया जाएगा, परन्तु इसका निर्धारण केवल संविदा के भाग के आधार पर किया जाएगा जिसे स्थायी संस्थापन द्वारा उस राज्य में प्रभावी रूप से निष्पन्न किया जाता है, जहां स्थायी संस्थापन स्थित हो । संविदा के उस भाग से संबंधित लाभ, जो उद्यम के प्रधान कार्यालय द्वारा किए जाते हैं, पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसका उद्यम कर्त्ता एक निवासी हो ।

जिसके साक्ष्य में, दोनों संविदाकारी राज्यों के संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली, भारत में, उन्नीस जमाद अल अवल, 1427 एच के तद्नुरूप वर्ष दो हजार छह के जून माह के पंद्रहवें दिन हिन्दी, अरेबिक और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

**भारत गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधि मण्डल की ओर से**

**हस्ताक्षर**

**शिवराज पाटिल**
**गृह मंत्री**

**कुवैत राज्य की सरकार के प्रतिनिधि मण्डल की ओर से**

**हस्ताक्षर**

**बदर मिशारी अल-हुमैधी**
**वित्त मंत्री**